



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042023-245322
CG-DL-E-22042023-245322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1737]

No. 1737]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1819(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मूल अधिसूचना संख्या कां० आ० 3900 (अ) दिनांक 28 अक्टूबर 2020 और संशोधन संख्या कां० आ० 5407 (अ) दिनांक 21 नवम्बर 2022 जो भारत के राजपत्र सं० क्रमशः 3438 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 व राजपत्र सं० 5179 दिनांक 22 नवम्बर 2022 में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील- भदोही, जिला-भदोही, राज्य- उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी.लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को दिनांक 3 दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और श्री राकेश कुमार सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी.लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला- भदोही		राज्य-उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर-	एयर-	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
भदोही	अभोली	388/1016	00	02	47
		142	00	11	13
भदोही	एकौनी	88	00	01	55
भदोही	खरगपुर	398	00	01	37
भदोही	कोछिया	170	00	00	35
भदोही	अमिलोरी	347	00	00	61
भदोही	अस्ती	248	00	00	40
		249	00	06	13
		219	00	01	63
		216	00	00	37
भदोही	किशुनापुर	97	00	02	86

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I - भाग(1)/ई-45874]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1819(E).— Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide Original S.O. No. 3900 (E) Dated 28 October 2020 and Erratum S.O. No. 5407 (E) Dated 21 November 2022 published in the Gazette of the India Gazette No. 3438 dated 29 October 2020 and Gazette No. 5179 dated 22 November 2022 Respectively under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central

Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project" for the transportation of LPG in Tehsil-Bhadohi, District-Bhadohi In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 3 December 2022 and whereas the Shri Rakesh Kumar Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Bhadohi		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.	-Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Bhadohi	Abholi	388/1016	00	02	47
		142	00	11	13
Bhadohi	Ekauni	88	00	01	55
Bhadohi	Kharagpur	398	00	01	37
Bhadohi	Kochhiya	170	00	00	35
Bhadohi	Amilori	347	00	00	61
Bhadohi	Asti	248	00	00	40
		249	00	06	13
		219	00	01	63
		216	00	00	37
Bhadohi	Kishunapur	97	00	02	86

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1) / E-45874]
P. SOMA. KUMAR, Under Secy.